एल.आर.अपील संख्या 34/2023 (GCMS NO 2023/41), अपील संख्या 35/2023 (GCMS NO 2023/43), अपील संख्या 36/2023 (GCMS NO 2023/42)

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 34/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/41)

1. स्व.गंगाराम पुत्र श्री फताराम जाति सुथार, निवासी–17 टी.के. तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर (हाल जिला अनूपगढ) (मृतक)

1/1 श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व. गंगाराम जाति सुथार, निवासीगण–17 टी.के. मुकलावा, तहसील रायसिहनगर वर्तमान जिला अनूपगढ।

1/2 कमलेश कुमार पुत्र स्व. गंगाराम जाति सुथार, निवासीगण–17 टी.के. मुकलावा, तहसील रायसिहनगर वर्तमान जिला अनूपगढ।

1/3 ममता पुत्री स्व. स्व. गंगाराम जाति सुथार, निवासीगण–17 टी.के. मुकलावा, तहसील रायसिहनगर वर्तमान जिला अनूपगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. अमरचंद पुत्र श्री उदाराम जाति सुथार, निवासी मुकलावा तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर वर्तमान जिला अनूपगढ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिहनगर जिला श्रीगगानगर वर्तमान जिला अनूपगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री सुरेश मोहता – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री कृष्ण बेनीवाल – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

अपील संख्या 35/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/43)

1. स्व.गंगाराम पुत्र श्री फताराम जाति सुथार, निवासी–17 टी.के. तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर (हाल जिला अनूपगढ) (मृतक)

1/1 श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व. गंगाराम जाति सुथार, निवासीगण–17 टी.के. मुकलावा, तहसील रायसिहनगर वर्तमान जिला अनूपगढ।

1/2 कमलेश कुमार पुत्र स्व. गंगाराम जाति सुथार, निवासीगण–17 टी.के. मुकलावा, तहसील रायसिहनगर वर्तमान जिला अनूपगढ।

1/3 ममता पुत्री स्व. गंगाराम जाति सुथार, निवासीगण–17 टी.के. मुकलावा, तहसील रायसिहनगर वर्तमान जिला अनूपगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. अमरचंद पुत्र श्री उदाराम जाति सुथार, निवासी मुकलावा तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर वर्तमान जिला अनूपगढ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिहनगर जिला श्रीगगानगर वर्तमान जिला अनूपगढ।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत मुकलावा पंचायत समिति रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर वर्तमान जिला अनूपगढ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. फताराम पुत्र स्व. श्री रामजस, जाति सुथार निवासी मुकलावा तहसील रायसिहनगर जिला अनूपगढ।
5. श्रीमती डालीबाई पुत्री स्व. श्री रामजस पत्नी श्री छदूराम जाति सुथार, निवासी गूडली तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर वर्तमान जिला अनूपगढ।
6. श्रीमती रूपा देवी पुत्री स्व. श्री रामजस पत्नी श्री कुम्भाराम जाति सुथार निवासी 28 एल.एल.डब्ल्यू तहसील गोलूवाला जिला श्रीगंगानगर।
7. श्रीमती केसरदेवी पुत्री स्व. श्री रामजस पत्नी श्री राजपाल जाति सुथार निवासी रसालीया खेड़ा तहसील व जिला सिरसा।

प्रत्यर्थीगण

8. उदाराम पुत्र स्व. श्री रामजस जाति सुथार निवासी मुकलावा तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर वर्तमान जिला अनूपगढ।
9. श्रीमती बेगादेवी पुत्री स्व. श्री रामजस, पत्नी स्व. श्री रेवताराम जाति सुथार निवासी गांव उकनी कल्याणसर तहसील डूगरगढ जिला बीकानेर।
10. श्रीमती पोला देवी पुत्री स्व. श्री रामजस पत्नी स्व. श्री नानकराम जाति सुथार निवासी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर वर्तमान जिला अनूपगढ।
11. श्रीमती नानूदेवी पुत्री स्व. रामजस पत्नी स्व. श्री भगवानाराम जाति सुथार निवासी रामगढिया तहसील डबवाली , जिला सिरसा।

औपचारिक प्रत्यर्थीगण

उक्त प्रत्यर्थीगण सं. 8 से 11 फौत हो चुके है।

उपस्थितः
1. श्री सुरेश मोहता — अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री कृष्ण बेनीवाल — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

अपील संख्या 36 / 2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/ 42)

1. स्व.गंगाराम पुत्र श्री फताराम जाति सुथार, निवासी–17 टी.के. तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर (हाल जिला अनूपगढ) (मृतक)

1/1 श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व. गंगाराम जाति सुथार, निवासीगण–17 टी.के. मुकलावा, तहसील रायसिहनगर वर्तमान जिला अनूपगढ।

1/2 कमलेश कुमार पुत्र स्व. गंगाराम जाति सुथार, निवासीगण–17 टी.के. मुकलावा, तहसील रायसिहनगर वर्तमान जिला अनूपगढ।

1/3 ममता पुत्री स्व. स्व. गंगाराम जाति सुथार, निवासीगण–17 टी.के. मुकलावा, तहसील रायसिहनगर वर्तमान जिला अनूपगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. अमरचंद पुत्र श्री उदाराम जाति सुथार, निवासी मुकलावा तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर वर्तमान जिला अनूपगढ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिहनगर जिला श्रीगगानगर वर्तमान जिला अनूपगढ।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत मुकलावा पंचायत समिति रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर वर्तमान जिला अनूपगढ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. फताराम पुत्र स्व. श्री रामजस, जाति सुथार निवासी मुकलावा तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर वर्तमान जिला अनूपगढ।
5. श्रीमती डालीबाई पुत्री स्व. श्री रामजस पत्नी श्री छदूराम जाति सुथार निवासी गूडली तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर वर्तमान जिला अनूपगढ।
6. श्रीमती रूपा देवी पुत्री स्व. श्री रामजस पत्नी श्री कुम्भाराम जाति सुथार निवासी 28 एल.एल.डब्ल्यू तहसील गोलूवाला जिला श्रीगंगानगर।
7. श्रीमती केसरदेवी पुत्री स्व. श्री रामजस पत्नी श्री राजपाल जाति सुथार निवासी रसालीया खेड़ा तहसील व जिला सिरसा।

प्रत्यर्थीगण

8. उदाराम पुत्र स्व. श्री रामजस जाति सुथार निवासी मुकलावा तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर वर्तमान जिला अनूपगढ।
9. श्रीमती बेगादेवी पुत्री स्व. श्री रामजस, पत्नी स्व. श्री रेवताराम जाति सुथार निवासी गांव उकनी कल्याणसर तहसील डूगरगढ जिला बीकानेर।
10. श्रीमती पोला देवी पुत्री स्व. श्री रामजस पत्नी स्व. श्री नानकराम जाति सुथार निवासी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर वर्तमान जिला अनूपगढ।
11. श्रीमती नानूदेवी पुत्री स्व. रामजस पत्नी स्व. श्री भगवानाराम जाति सुथार निवासी रामगढिया तहसील डबवाली , जिला सिरसा।

औपचारिक प्रत्यर्थीगण

उक्त प्रत्यर्थीगण सं. 8 से 11 फौत हो चुके है।

उपस्थितः 1. श्री सुरेश मोहता – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री कृष्ण बेनीवाल – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 27.08.2024**

1. अपील संख्या 34/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/ 41) भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ) रायसिंहनगर प्रकरण सं. 20/11 के निर्णय दिनांक 30.05.2011 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील संख्या 35/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/ 43) भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इन्तकाल संख्या 287 ग्राम 17 टी के सरपंच ग्राम पंचायत मुकलावा पं. सं. रायसिहनगर के विरूद्ध पेश हुई है।
3. अपील संख्या 36/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/ 42) भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इन्तकाल संख्या 323 ग्राम मुकलावा पं. सं. रायसिहनगर के विरूद्ध पेश हुई पेश हुई है।
4. अपील संख्या 34/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/ 41) के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार (भू.अ.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रायसिहनगर के मुकदमा नं. 20/11 अनवान गंगाराम बनाम अमरचन्द के निर्णय दिनांक 30.05.2011 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 30.05.2011 को निरस्त कर वसीयत इन्तकाल मंजूर करने के आदेश फरमाने का अनुतोष चाहा गया है।

5. अपील संख्या 35/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/ 43) के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इन्तकाल संख्या 287 ग्राम 17 टी के सरपंच ग्राम पंचायत मुकलावा पं. सं. रायसिहनगर के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर उक्त इन्तकाल निरस्त फरमाया जाकर जियालाल की वसीयत के मुताबिक गंगाराम के पक्ष मे इन्तकाल दर्ज फरमाने के आदेश देने का अनुतोष चाहा गया है।

6. अपील संख्या 36/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/ 42) के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इन्तकाल संख्या 323 ग्राम मुकलावा पं. सं. रायसिहनगर के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर उक्त इन्तकाल निरस्त फरमाया जाकर जियालाल की वसीयत के मुताबिक गंगाराम के पक्ष मे इन्तकाल दर्ज फरमाने के आदेश देने का अनुतोष चाहा गया है।

7. उक्त तीनो आदेशो के विरूद्व उक्त तीनो अपीले के पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक बहस के दौरान अनुपस्थित रहे।

8. तीनो अपीलो में एक साथ बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि जीयाराम के नाम से रायसिहनगर के चक 17 टी के मुरब्बा नं. 19 जमीन 10 बीधा यानी 2.530 हैक्टेयर एवं ग्राम मुकलावा बारानी मुरब्बा नं. 42 में 1.519 है. में से अपने 1/2 हिस्से की भूमि की वसीयत दिनांक 30.12.2004 बहक गंगाराम पुत्र फताराम के हक में की गई। दिनांक 12.10.2008 को जीयाराम की मृत्यु हुई, गंगाराम द्वारा वसीयतनुसार इन्तकाल हेतु आवेदन किया, गंगाराम, सांक्षी, प्रवीण, हेतराम, एवं सुभाष, संजय के बयान कराये गये। अमरचन्द पुत्र उदाराम ने आपतिया की। जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 30.05.2011 को आदेश कर वसीयत के आधार पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

इन्तकाल का प्रार्थना पत्र निरस्त कर विरासतन इन्तकाल दर्ज कर निर्णय हेतु ग्राम पंचायत की मीटिग में पेंश करने का आदेश किया। दिनांक 30.05.2011 के आदेश की अपील संभागीय आयुक्त बीकानेर मे प्रस्तुत की गई। जहा केवियट कर्ता अमरचन्द की उपस्थिति थी व दिनांक 06.06.2011 को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया। किन्तु ग्राम पंचायत मुकलावा द्वारा इन्तकाल संख्या 287 दिनांक शून्य एव इन्तकाल संख्या 323 दिनांक शून्य पारित किया गया, जिसके विरूद्ध दो अलग–अलग अपीले दायर की गई है। इन पत्रावलियो में गगाराम व अमरचन्द के मध्य संभागीय आयुक्त बीकानेर न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा लिखित मे पेश हो गया, तथा अमरचन्द द्वारा शपथ पत्र तस्दीक शुदा भी पेश किया गया जिसमें अन्य रेस्पोडेन्ट फताराम, डालीबाई, रूपादेवी, केशरदेवी ने जरिये वकील राजीनामा पेश किया व वसीयत द्वारा जीयाराम बहक गंगाराम को सत्य व सही मानते हुए इन्तकाल संख्या 287 व इन्तकाल संख्या 323 निरस्त कर वसीयत उक्त समस्त वादग्रत कृषि भूमि का इन्तकाल गंगाराम के नाम मे दर्ज करने का आदेश फरमाने का अंकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में आपत्तिकर्ता मात्र एक अमरचन्द था, ना कि कोई अन्य। तथा अमरचन्द ने भी राजीनामा पेश किया है। गंगाराम की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान रिकार्ड पर दर्ज हो चुके है, आपत्तिकर्ता अमरचन्द ने राजीनामा व शपथ पत्र पेश किया हुआ है तथा अन्य रेस्पोडेन्ट ने राजीनामा जरिये वकील किया हुआ है। अतः तीनो अपीले स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल संख्या 287 व इन्तकाल संख्या 323 को निरस्त किया जाकर राजीनामा के आधार पर बरूवे वसीयत गंगाराम के हक मे होने के कारण व गगाराम की मृत्यु हो जाने के कारण गंगारारम के सभी तीनो वारिसान के नाम मे बहिस्सा बराबर बराबर इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

9. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन / विश्लेषण किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया है कि तहसीलदार (भू.अ.) रायसिहनगर द्वारा जरिए निर्णय दिनांक 30.05.2011 वसीयत को पंजीकृत की जगह नोटेरी प्रमाणित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

होने व जीयालाल की मनोस्थिति ठीक नही बताकर वसीयत के आधार पर इंतकाल हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। विधिक स्थिति में इंतकाल के लिए वसीयत का पंजीकृत होना बाध्यकारी नही है। वसीयत की वैधता परखने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। उक्त वसीयत की वैधानिकता के संबध में किसी भी सिविल न्यायालय का विनिश्चय पत्रावली पर नही है। जीयालाल की मनोस्थिति के बारे में चिकित्सकीय पुख्ता प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। जिसके आधार पर कोई राजस्व अधिकारी अपना निर्णय प्रतिपादित कर सके। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 19.02.2011 अनुसार चक 17 टी के पं. नं. 158/300 मु. नं. 19 रकबा 2.530 है. व मुकलावा बारानी के मु. नं. 42 पं. नं. 156/311 रकबा 1.519 है. में से 1/2 हिस्सा जीयाराम पुत्र रामजस की खातेदारी में दर्ज है जिसकी वसीयत जीयाराम द्वारा अपीलार्थी गंगाराम के पक्ष में निष्पादित किया जाना पाया है, व मौके पर गंगाराम का कब्जा होना पटवारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। अपीलार्थी गंगाराम व रेस्पोडेन्ट अमरचन्द के मध्य लोक अदालत की भावना से किया गया राजीनामा भी पत्रावली पर है जिसे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्तागण द्वारा सत्यापित किया गया है। उक्त राजीनामें मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय को निरस्त कर माफिक वसीयत भूमि का इंतकाल किए जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई है। राजीनामे के साथ रेस्पोडेन्ट अमरचन्द द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर वसीयतनामें को पूर्णतया सही व विधिवत होना स्वीकार किया है।

उक्त तथ्यो व विवेचन के मध्यनजर उक्त तीनो अपीले अपील संख्या 34/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/41), संख्या 35/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/43), संख्या 36/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/ 42) स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2011 को निरस्त किया जाता है व अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के फलस्वरूप पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 287 व नामान्तरकरण संख्या 323 को भी खारिज किया जाता है, तथा हस्तगत अपीलीय प्रकरण में माफिक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वसीयत नामान्तरकरण अपीलान्ट स्व. गंगाराम के विधिक वारिसान श्रीमती सरोज देवी पत्नी गंगाराम, कमलेश कुमार पुत्र स्व. गंगाराम, ममता पुत्री स्व. गंगाराम के नाम दायर किए जाने हेतु तहसीलदार (भू.अ) रायसिहनगर जिला अनूपगढ को निर्देशित किया जाता है। तदनुसार तीनो अपीले निर्णित शुमार हो। निर्णय की एक एक प्रति तीनो पत्रावलियो में रखी जावे। तीनो पत्रावलियां नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर